

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला-जबलपुर
धारा-11 की अधिसूचना

क्रमांक/भू-अर्जन/प्र.क्र. /अ-82/2016-17

जबलपुर, दिनांक/...../2016

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलंगन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने- की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधो के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।


पाटन-तेदुखेडा-रहली मार्ग का उन्नयन बी0ओ0टी0 (टोल एन्युनिटी) योजनान्तर्गत ग्राम नीमी तहसील पाटन जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।


अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा (12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	पाटन	नीमी प.ह.न. 26/59	0.630	अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकारी भू-अर्जन पाटन	पाटन-तेन्दुखेडा- रहली मार्ग के उन्नयन हेतु बी0ओ0टी0 (टोल एन्युनिटी) योजनान्तर्गत

- 1- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in भी देखा जा सकता है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


भू अर्जन अधिकारी
तहसील. पाटन
जिला - जबलपुर


(महेश चंद्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग